ई० मेल

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या– 911 / नौ–9–2017–89ज / 2001

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 2017

विषयः–चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत एस0टी0पी0 के संचालन एवं रख–रखाव हेतु रोकी गयी धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–804 / नौ–9–2017–89ज / 2001 दिनांक 14.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्न बिन्दुओं पर तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया :–

(1) विगत पांच वर्षो में निकायवार एस0टी0पी0 मद में की गयी कटौती व जल निगम को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विवरण।
(2) एस0टी0पी0 वार विद्युत बिल के प्रतिवर्ष भुगतान का विवरण।
(3) किस एस0टी0पी0 पर स्वतंत्र / डेटीकेटेड फीडर है? एस0टी0पी0 की क्षमता कितनी है?
(4) जल निगम द्वारा विद्युत विभाग को कुल 05 वर्षो में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है?

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0टी0पी0 संचालन एवं रख–रखाव हेतु राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत रोकी गयी धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में उपरोक्त बिन्दुओं पर वांछित सूचना मांगी गयी है, जो शासन को अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिसके कारण रोकी गयी धनराशि अवमुक्त नहीं की जा सकी है। प्रकरण महत्वपूर्ण होने के कारण शासन द्वारा मांगी गयी सूचना उपलब्ध न कराया जाना खेदजनक है। कृपया उक्त प्रकरण में वांछित सूचना शासन को 02 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. उक्त सूचना प्राप्त होने पर एस0टी0पी0 संचालन एवं रख–रखाव हेतु राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत रोकी गयी धनराशि को आवंटित किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

भवदीय,

Manoj 15.10.17

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम लखनऊं।

2– निदेशक, स्थानीय निकाय,उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 28.08.2017 के संदर्भ में।

3– महाप्रबन्धक,जल संस्थान,लखनऊ / कानपुर / इलाहाबाद / आगरा / वाराणसी।

आज्ञा से,

17-9-17

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।